राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील दौसा जिला दौसा** की **तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा** का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील नांगल राजावतान के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार मण्डल
1	दौसा	बनियाना	1. ढिगारिया
			2. बनियाना
			3 कंवरपुरा
2		लवाण	4. लवाण ए
			5. लवाण बी
			6. खानपुरा
			7. रजवास
			8. पूर्वियावास
			9. खानवास
			10. मांड़ेड़ासुनारपुरा
3		नांगल राजावतान	11. डुगरावता
			12. नयागाँव
			13. मलवास
			14. नॉगल राजावतान
			15. प्यारीवास
			16. मानपुरिया
			17. बड़ागाँव
			18. ठीकरिया
			19. लाहड़ी का बास
			20. चूड़ियावास
			21. बैजवाड़ी
			22. छारेड़ा
			23. कालीखाड़
			24. थूमड़ी

u

4		आलूदा	25. हापावास
			26. धरणवास
			27. श्यालावास
			28. महाराजपुरा
			29. खवारावजी
			30. पापड़दा
			31. आलूदा ए
			32. आलूदा बी

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :–प.9(30)राज./ग्रुप–1/2010 जयपुर, दिनांक :–31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील पोकरण जिला जैसलमेर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर** का सृजन करती है।
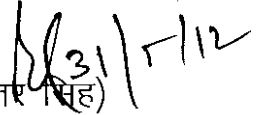
नव सृजित तहसील भणियाणा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू– अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क.सं.	नाम तहसील	भू –अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	पोकरण	भणियाणा	भणियाणा
2			सरदारसिंह की ढाणी
3			रातडिया
4			बारठ का गांव
5			झाबरा
6			माडवा
7			जैमला
8			लूणाकलां
9			भैंसड़ा
10			पनासर
11			झलारिया
12			जालोड़ा पोकरणा
13		फलसूंड	फलसूंड
14			भुर्जगढ
15			दांतल
16			राजगढ
17			ओला
18			राजमथाई
19			बलाड
20			बांधेवा
21			मानासर
22			पदमपुरा

23			स्वामी जी की ढ़ाणी
24			भीखोड़ाई जूनी

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योंग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिंनाकः 31.5.2012

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा** का सृजन करती है :–

नवसृजित तहसील सज्जनगढ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क0सं0	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	कुशलगढ	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़
2			टाण्डा रतना
3			खुंटा चतरा
4			राठधनराज
5			जीवा खूंटा
6			रोहनिया लक्ष्मण सिह
7			भुरा कुआ
8			खुन्दनी हाला
9			टाण्डा मंगला
10			गोदावाडा नारेंग
11		ताम्बेसरा	ताम्बेसरा
12			अन्देश्वर
13			मगरदा डामरा साथ
14			पाली बडी
15			इटाला

16			शक्करवाडा
17			सागवा
18			महुडी
19			बिलडी
20		डूंगरा छोटा	डूंगरा छोटा
21			बावडीपाडा
22			डूंगरा बडा
23			मछारा साथ
24			हिम्मतगढ़
25			सातसेरा
26			कसारवाडी
27			मुनिया खूंटा
28			मस्का बडा
29			टाण्डीबडी
30			जालिमपुरा

आज्ञा से

21/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील मेड़ता एवं तहसील डेगाना जिला नागौर** का **पुनर्गठन/ नवीन सृजन** कर **तहसील रियांबड़ी जिला नागौर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील रियांबड़ी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :

क्र0सं	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत
1	मेडता	रियाबडी	रियाबडी
2			जाटावास
3			बीजाथल
4			सैंसडा
5			रोहिसा
6			झीटिया
7			जडाउ कलां
8		भैरुंदा	भैरून्दा
9			डोडियाना
10			मोडीकलां
11			सथानाकलां
12			निम्बोलाबिश्वा
13			सूदवाड़
14		थांवला	थांवला
15			लाडपुरा
16			बाडीघाटी

17			कोड
18			टेहला
19			ढाणीपुरा
20			आलनियावास
21		जसनगर	जसनगर
22			चून्दिया
23			कात्यासनी
24			जसवन्ताबाद
25			लीलियां
26	डेगाना		मुगदडा
27			भंवाल
28			बडायली
29			मेडास
30		पादूकलां	पादूकलां
31			पादू खुर्द
32			लाम्पोलाई
33			बग्गड
34			अरनियाला
35			गवारडी
36			चावण्डिया कलां
37			धांधलास उदा
38			मोररा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तार सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12

सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील नावां जिला नागौर** का **पुनर्गठन** कर **अतिरिक्त तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर** को अतिरिक्त तहसील से **क्रमोन्नत** कर **नवीन तहसील कुचामन सिटी का सृजन करती है।**
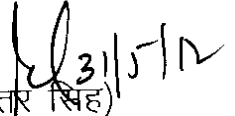
नवसृजित तहसील कुचामन सिटी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :

क्र0सं	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत
1	नांवा	कुचामन सिटी (पुनर्गठित)	कुचामन सिटी
2			रूपपुरा
3			पलाडा
4			नारायणपुरा
5			मण्डावरा
6			सरगोठ
7			आननदपुरा
8			उगरपुरा
9			रसाल
10		पाचंवा (नवसृजित)	पांचवा
11			खारिया
12			दीपपुरा
13			प्रेमपुरा
14			हीराणी
15			जिलिया
16			चारणवास

17		चितावा (पुनर्गठित)	चितावा
18			अड़कसर
19			शिव
20			परेवडी
21			कुकनवाली
22			चावन्डिया

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त ज़िला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बहरोड जिला अलवर** की **उप तहसील नीमराना** को **क्रमोन्नत** कर **नवीन तहसील नीमराना जिला अलवर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील नीमराना के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम भू0अ0नि0	नाम पटवार मण्डल
1	2	3	4
1	बहरोड	1. नीमराना	1. नीमराना
			2. सलारपुर
			3. दौलतसिंहपुरा
			4. प्रतापसिंहपुरा
			5. बिचपुरी
			6. कोलीलाजोगा
			7. घीलोठ
		2. शाहजहॉपुर	8. शाहजहॉपुर
			9. गुगलकोटा
			10. कुतीना
			11. श्रीयानी
			12. जोनायचाखुर्द
			13. जोनायचाकलां
			14. फौलादपुर
		3. मांढण	15. मांढण
			16. परतापुर
			17. हुडियाकंला
			18. काठूवास

			19. खून्दरोठ
			20. नानगवास
			21. महतावास
			22. सांतो
			23. गिगलाना
			24. डाबडवास
		4. माजरीकलां	25. माजरीकलां
			26. अकलीमपुर
			27. डूमरोली
			28. कायसा
			29. रैवाना
			30. दौसोद
			31. रोडवाल
			32. माजरा
			33. कान्हावास

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील राजगढ जिला अलवर** की **उप तहसील रैणी** को **क्रमोन्नत** कर **नवीन तहसील रैणी जिला अलवर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील रैणी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम भू0अ0नि0	नाम पटवार मण्डल
1	2	3	4
1	राजगढ	1. रैणी	1. रैणी A
			2. रैणी B
			3. जामडोली
			4. डेरा
			5. प्रागपुरा
			6. कीलपुरखेडा
			7. भजेडा
		2. पाटन	8. पाटन
			9. राजपुर छोटा
			10 छिलोडी
			11 बीलेटा
			12. डौरोली
			13. पाडा
		3. माचाडी	14. माचाडी
			15. टहटडा
			16. सालोली
			17. बबेली

			18. बैरेर
			19. भूलेरी
		4. पिनान	20. पिनान
			21. गढीसवाईराम
			22. भूडा
			23. बहडकोकलां
			24. परवैणी
			25. ईटोली
			26. रामपुरा
			27. कानेटी

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद्द्वारा **तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू** का **नवीन सृजन** करती है।

नवसृजित तहसील मलसीसर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	मलसीसर	1. मलसीसर	1. बाडेट
2			2. ढीलसर
3			3. कालियासर
4			4. मलसीसर
5			5.जाबासर
6			6 निराधनू
7			7 झटावा खुर्द
8			8 टमकोर
9			9 गोखरी
10			10 भूदा का बास
11			11 अलसीसर
12			12 कंकड़ेऊ कलां
13		2. बिसाऊ	13 कोदेसर
14			14 गांगियासर
15			15 बिरमी
16			16 बिसाऊ
17			17 महनसर
18			18 भीखनसर

19			19 पिलानी खुर्द
20			20 दिलोई
21			21 पाटोदा
22			22 चुड़ेला
23			23 टांई
24		3. रामपुरा	24 कोलिण्डा
25			25 कांट
26			26 हंसासर
27			27 लूणा
28			28 हरीपुरा
29			29 रामपुरा
30			30 सोनासर
31			31. डाबड़ीधीरसिंह
32			32. बाजला
33			33. लादूसर
34			34. धनूरी
35			35. हमीरीकलां

आज्ञा से

21/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद्द्वारा **तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं** की **उप तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू** को **क्रमोन्नत** कर **तहसील सूरजगढ का सृजन करती है।**

नवसृजित तहसील सूरजगढ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू.अ.नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	चिडावा	सूरजगढ़	धिंगड़ियां
2			काकोड़ा
3			अगवाना खुर्द
4			किढ़वाना
5			बड़सरी का बास
6			सूरजगढ़
7			सेहीकलां
8			घण्डावा
9			अडूका
10			स्वामी सेही
11			लाखू
12			काजड़ा
13			जीणी
14			देवरोड़
15		भावठड़ी	बेरला
16			बलौदा
17			उरीका
18			महपालवास

19			कुलोठ कलां
20			भावठड़ी
21			पिलोद
22			फरट
23			जाखोद
24			लोटिया
25			डुलानिया
26			पीपली
27			लीखवा
28			दूदवा
29		पिलानी	खुडानिया
30			झेरली
31			धूमनसर कलां
32			बेरी
33			सूजड़ोला
34			बनगोठड़ी कलां
35			मोरवा
36			भगीना
37			पिलानी
38			पिलानी
39			हमीनपुर

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिब, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12

सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बून्दी जिला बून्दी** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील तालेड़ा जिला बून्दी** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील तालेड़ा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	बून्दी	1. तालेड़ा,	1.तालेड़ा 2.अकतासा 3.जमीतपुरा 4.केथूदा 5.बल्लोप 6.नोताड़ा भोपत 7.जाखमूण्ड 8. देलून्दा 9. लीलेडा व्यासान
2		2. बरूंधन	10. बरूंधन 11. अल्फानगर 12. ठीकरिया चारणान 13. लक्ष्मीपुरा 14. तालाब बरधा 15. डोरा

3		3. डाबी	16. डाबी 17. राजपुरा 18. धनेश्वर 19. लाम्बाखोह 20. गणेशपुरा 21. गोपालपुरा 22. बुद्धपुरा 23. जवाहर सागर 24. खडीपुर
4		4. बाजड	25. बाजड 26. बडून्दा 27. लाडपुर 28. गामछ 29. देहित 30. सुवांसा 31. तीरथ 32. सीन्ता

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तार सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़** का **पुनर्गठन / नवीन सृजन** कर **तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील भूपालसागर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम भू.अ.नि वृत	नाम पटवार मण्डल
1		1 भूपाल सागर	1 भूपालसागर
			2 अनोपपुरा
			3 जाशमा
			4 कानाखेड़ा
			5 उसरोल
			6 भुपालनगर
			7 बूल
2		आकोला	8 आकोला
			9 बबराना
			10 ताणा
			11 मूरला
			12गुन्दली
			13कानरखेड़ा
			14 रायपुरिया कलॉ
3		कांकरवा	15 कांकरवा
			16 निलोद
			17 चोरवड़ी
			18 पारी
			19 पटोलिया
			20 फलासिया
			21 रावतिया

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांकः–

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **जिला भरतपुर तहसील वैर** का **पुर्नगठन/सृजन** कर **तहसील भुसावर जिला भरतपुर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील भुसावर के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित भू अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगेः–

कम संख्या	नाम तहसील	भू.अ. निरीक्षक वृत	पटवार वृत्त
1	वैर	1.पथैना	1.पथैना
2			2.बवेखर
3			3.अलीपुर
4			4.नारौली
5			5.छौंकरवाडा कलां
6			6.नैवाडा
7			7.भैसीना
8			8.कमालपुरा
9			9.बाछरैन
10			10.झारौटी
11		2.भुसावर	11.भुसावर प्रथम
12			12.भुसावर द्वितीय
13			13.इटामडा
14			14.सलैमपुर खुर्द
15			15.चैटोली
16			16.दीवली
17			17.सुहारी
18		3.बल्लभगढ	18.बल्लभगढ
19			19.सैंधली
20			20.गौगेरा
21			21.सलैमपुर कलां
22			22.मैनापुरा

23			23.निठार
24			24.रणधीरगढ
25			25.माईदपुर

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तार सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांकः 31.5.2012

–:अधिसूचना:–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन्1956)की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में ,राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील सीकर जिला सीकर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील धोद जिला सीकर** का **नवीन सृजन** करती है ।

नव सृजित तहसील धोद के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगेः–

क.सं.	नाम तहसील	भू अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत
1	सीकर	धोद	धोद
2			बोसाना
3			कासली
4			कंवरपुरा
5			भुवाला
6			नेतड़वास
7			नागवा
8			पेवा
9			दुगोली
10		सिहोट बड़ी	सिहोट बड़ी
11			सिंगरावट
12			लोसल छोटी
13			शाहपुरा
14			मोरडुंगा
15			फतेहपुरा
16			पूर्णपुरा
17			बिंजासी
18			अनोखू
19			सरवड़ी
20			सेवद बड़ी

21		सिहोटछोटी	सिहोटछोटी
22			सेवा
23			सांवलोद पुरोहितान
24			खाखोली
25			सांवलोदा धायलान
26			किरडोली
27			झीगर छोटी
28			भढाढर
29			श्यामपुरा
30			भैंरूपुरा
31		दुजोद (आंशिक)	दुजोद
32			पुरा बड़ी
33			मण्डावरा
34			माण्डोता
35			गोठड़ा तगालान
36			बिडोली
37			बाडलवास
38			मुण्डवाड़ा
39		दादिया (आंशिक)	गोठड़ा भूकरान
40			कूदन
41			जेरठी
42			रसीदपुरा
43			पलथाना

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः–प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांकः 31.5.2012

–ःअधिसूचनाः–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में ,राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर** का पुनर्गठन कर **तहसील खण्डेला जिला सीकर** का **नवीन सृजन** करती है ।
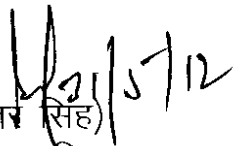
नव सृजित तहसील खण्डेला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगेः–

क.सं.	नाम तहसील	भू अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत
1	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर (आंशिक)	जयरामपुरा
2			ढ़ाल्यावास
3			रलावता
4			नीमेड़ा
5		रींगस (आंशिक)	बावडी
6			लाखनी
7		जाजोद	जाजोद
8			पुजारीकाबास
9			कांसरड़ा
10			ठिकरिया
11			मलिकपुर
12			बृसिंहपुरा
13			खटुन्दरा
14			रोयल
15			गोविन्दपुरा
16			दुधवालों का बास
17		खण्डेला	खण्डेला
18			दायरा
19			रामपुरा
20			गुरारा
21			पनिहारवास

22			केरपुरा
23			कोटड़ी लुहारवास
24			ढाणी गुमानसिंह
25			चौकड़ी
26			गोकुल का बास
27		कॉवट	कॉवट
28			भादवाडी
29			लोहरवाडा
30			दुल्हेपुरा
31			जुगलपुरा
32			सुजाना
33			बासडी

आज्ञा से

21/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प–9(30) राज / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक :

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं की आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा **अतिरिक्त तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर** में **तहसील फतेहपुर जिला सीकर** का **पुर्नगठन** कर **अतिरिक्त तहसील से क्रमोन्नत** कर **तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर** का **नवसृजन** करती है।

नव सृजित तहसील रामगढ शेखावाटी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू.अ. निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होगें:–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	फतेहपुर	ढांढण	पालास
2			ढांढण
3			रोहलसाहबसर
4			हुडेरा
5			देवास
6			खोटिया
7		रामगढ	रामगढ
8			सहनुसर
9			ताखलसर
10			कायमसर
11			ठिमोली
12			गोडिया बड़ा
13			तिहावली

आज्ञा से
21/5/12
(अनार सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमाकः– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक :– 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील फलौदी जिला जोधपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील बाप जिला जोधपुर** का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील बाप के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क.स.	नाम तहसील	भू. अ. नि. वृत	नाम पटवार मण्डल
1	फलौदी	बाप (पुनर्गठित)	बाप
2			घटोर
3			सांवरागॉव
4			कानसिंह की सिड्ड
5			बड़ी सिड्ड
6		जाम्बा (नवसृजित)	जाम्बा
7			चारणाई
8			श्री सुरपुरा
9			क.सिड
10			ननेऊ
11		बावड़ी कलां (नवसृजित)	बावड़ीकलां
12			जोड़
13			मलार
14			राणेरी
15			शेखासर
16		देदासरी (नवसृजित)	देदासरी
17			टेपू
18			टेकरा
19			कानासर

ध

20			नूरे की भूर्ज
21			बारू
22		चाखू (नवसृजित)	चाखू
23			लूणा
24			चिमाणा
25			केलनसर
26			मोटाई
27		घंटियाली (नवसृजित)	घंटियाली
28			चाम्पासर
29			बूंगडी
30			रोहिणा
31			जैसला
32			नोखड़ा भाटियान्

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:–

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक :– 31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील बालेसर जिला जोधपुर** का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील बालेसर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र. स.	नाम तहसील	भू. अ. नि. वृत	नाम पटवार मण्डल
1	शेरगढ	बालेसर (पुनर्गठित)	बालेसर सता
2			बालेसर दुर्गावता
3			खारीबेरी
4			कुई इन्दा
5			बेलवा
6			बेलवा राणाजी
7		आगोलाई (नवसृजित)	आगोलाई
8			दुगर
9			भाटेलाई पुरोहितान्
10			बावरली
11			ढाढणिया सासण
12			ढाढणिया भायला
13		खुडियाला (नवसृजित)	खुडियाला
14			उटाम्बर
15			बिराई
16			निम्बो का गांव
17			गोपालसर
18			बस्तवा

19		चामू (पुनर्गठित)	चामू
20			गोदेलाई
21			बारनाउ
22			डेरिया
23			भालू अनोपगढ़
24		लोडता अचलावता (नवसृजित)	लोडता अचलावता
25			कनोडिया पुरोहितान
26			गिलाकौर
27			देवातु
28			नाथड़ाउ
29		सेखाला (नवसृजित)	सेखाला
30			केतुकला
31			केतुमदा
32			भालू राजवा
33			देडा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योंग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमाकः– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक :– 31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील भोपालगढ़ एवं औसियां जिला जोधपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील बावड़ी जिला जोधपुर** का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील बावड़ी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.स.	नाम तहसील	भू. अ. नि. वृत	नाम पटवार मण्डल
1	भोपालगढ	बावडी (पुनर्गठित)	बावडी प्रथम
2			बावडी द्वितीय
3			जोईन्तरा
4			कास्टी
5			नेतडा
6			बिराई
7		सोयला (नव सृजित)	सोयला
8			कजनाऊ कलां
9			खेडापा
10			मेलाणा
11			लवेरा कलां
12		गंगाणी (नव सृजित)	गंगाणी
13			मेलावास
14			बुचेटी
15			सेवकी कला
16			बोड़वी खुर्द
17	ओंसिया	नान्दिया खुर्द (नव सृजित)	नान्दिया खुर्द
18			हतुण्डी
19			नान्दिया कला
20			धनारी कलां
21			तापू

22		बारा खुर्द (नव सृजित)	बारा खुर्द
23			खिन्दाकौर
24			चान्दरख
25			डॉवरा
26			बासनी डॉवरा
27		भवाद (नव सृजित)	भवाद
28			जुड़
29			केलावा कलां
30			अणवाणा
31			उम्मेदनगर

आज्ञा से

21/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पंर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योंग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमाकः– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक :–31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ जिला जोधपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर** का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील पीपाड़ शहर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र. स.	नाम तहसील	भू. अ. नि. वृत	नाम पटवार मण्डल
1	बिलाडा	पीपाड़शहर	पीपाड़शहर
2			सिन्धीपुरा
3			रियां
4			बोयल
5			जसपाली
6			सिलारी
7		बोरून्दा	बोरून्दा
8			भाखरो की ढाणी
9			सोवनिया
10			चौकडी कलां
11			चौकडी खुर्द
12			खवासपुरा
13		चिरडाणी	चिरढाणी
14			तिलवासनी
15			नानण
16			रावनियाना
17			मालावास

18	भोपालगढ		मादलिया
19		बुचकला	बुचकला
20			चौढा
21			सालवाखुर्द
22			बाड़ा कलां
23			खेडीसालवा
24			रामडावास कलां
25			कुड
26		साथीन	साथीन प्रथम
27			साथीन द्वितीय
28			कोसाणा
29			खांगटा
30			पालडी सिद्वा
31			भुण्डाणा
32			मलार

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा **जालौर जिले** की **तहसील सांचोर** एवं **उप तहसील चितलवाना** का **पुनर्गठन** कर एवं **उप तहसील चितलवाना** को **क्रमौन्नत** कर एक **नई तहसील चितलवाना जिला जालौर** सृजित करती है ।

नव सृजित तहसील चितलवाना के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क.सं.	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत्त
1	सांचोर	चितलवाना	1–चितलवाना 2–रामपुरा 3–परावा 4–सिवाडा 5–होतीगांव 6–आकोली
2		केरिया	7–केरीया 8–डूंगरी 9–सेसावा 10–दूठवा 11–वीरावा 12–रणोदर
3		सुराचन्द	13–सुराचन्द 14–भीमगुडा 15–टांपी 16–भवातडा 17–खेजडियाली 18–सूंथडी 19–वालेरा

u

4		झाब	20—झाब 21—इटादा 22—अणखोल 23—गुडाहेमा 24—निम्बाऊ 25—देवडा
5		हाडेचा	26—हाडेचा 27—केसूरी 28—जाणवी 29—काछेला 30—डावल 31—रतौडा

आज्ञा से

21/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योंग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक 31-5-2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकमण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा **जालौर जिले** की **तहसील भीनमाल** का **पुनर्गठन** कर, एक **नई तहसील जसवन्तपुरा जिला जालौर** सृजित करती है ।

नव सृजित तहसील जसवन्तपुरा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क.सं.	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत्त
1	भीनमाल	जसवन्तपुरा	1–जसवन्तपुरा 2–गजापुरा 3–गोलाणा 4–डोरडा 5–चान्दूर 6–चेकला
2		रामसीन	7–रामसीन 8–पूनंगकला 9–झांक 10–माण्डोली 11–बूगांव 12–चांदणा 13–सोमता
3		मोदरा	14–मोदरां 15–सेरणा 16–धानसा 17–अति.धानसा 18–बांसडाधनजी 19–तातोल 20–जोडवाडा 21–लूर

4		भरूडी	22– भरूडी 23–खानपुर 24–तवाब 25–मुडतरासीली 26–थूर 27–सिणधरा 28–मुन्थलाकाबा
5		दांतलावास–मुख्यालय राजपुरा	29–दांतलावास 30–पावली 31–गजीपुरा 32–सावीदर 33–पूरण 34–पंसेरी 35–राजीकावास

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तार सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाते बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :– प9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिंनाकः 31.5.2012

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा** का सृजन करती है :–

नवसृजित तहसील छोटीसरवन के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

कम संख्या	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत	पटवार मण्ड़ल
1	बांसवाडा	दानपुर	दानपुर
2			हरनाथपुरा
3			जहॉपुरा
4			छायनबडी
5			छोटी सरवन
6			मुलिया
7			मकनपुरा
8			वागतालाब
9			खजुरी
10			गागरवा
11			घोडी तेजपुर
12		कटुम्बी	कटुम्बी
13			दनाक्षरी
14			बारी

15			कोटडा
16			फेफर
17			नादिया
18			नापला

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :– प.9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा** का **पुनर्गठन** कर **तहसील आनन्दपुरी** का **नवीन सृजन** कर **तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा** का पुनर्गठन करती है :–
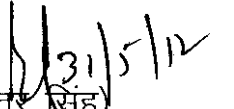
नवसृजित तहसील आनन्दपुरी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क0सं0	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	बागीदौरा	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी
2			मैना पादर
3			छाजा
4			वरेठ
5			ओबला
6			वड़लिया
7			कड़दा
8			फलवा
9			चिकली तेजा
10			टामटिया
11			आमलिया आम्बादरा
12			पाट नवाधरा
13			डोकर
14		चान्दरवाड़ा	चान्दरवाड़ा
15			बरजडिया
16			कानेला

17			मडकोला मोगजी
18			मुन्दरी
19			रतनपुरा
20			चोरडी
21			भलेर भोदर
22			नाहरपुरा
23			काजलिया
24			सुन्द्राव
25			पाटीया गलीया
26			उदयपुरा बड़ा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:–

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील भूपालसागर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम भू.अ.नि वृत	नाम पटवार मण्डल
1		1 भूपाल सागर	1 भूपालसागर
			2 अनोपपुरा
			3 जाशमा
			4 कानाखेड़ा
			5 उसरोल
			6 भुपालनगर
			7 बूल
2		आकोला	8 आकोला
			9 बबराना
			10 ताणा
			11 मूरला
			12गुन्दली
			13कानरखेड़ा
			14 रायपुरिया कलॉ
3		कांकरवा	15 कांकरवा
			16 निलोद
			17 चोरवड़ी
			18 पारी
			19 पटोलिया
			20 फलासिया
			21 रावतिया

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर,दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील बिछीवाडा के कार्य क्षैत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत	नाम पटवार मंडल
1	डूंगरपुर	बिछीवाडा	बिछीवाडा
2			चुंडावाडा
3			मोदर
4			पालीसोडा
5			गेड
6			तलैया
7			पंथाल
8			खजुरी
9			मालमाथा
10		बोखला	बोखला
11			पालपादर
12			शिशोद
13			आमझरा
14			बरोठी
15			साबली
16		कनबा	कनबा
17			छापी
18			नवलश्याम
19			ओडाबडा
20			करोली
21			संचिया
22		गामडीअहाडा	गामडीअहाडा
23			रामपुरमेवाडा
24			गलन्दर
25			झालुकुआ
26			मेवाडा
27			वीरपुर
28			भेहणा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील चिखली जिला डूंगरपुर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील चिखली के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत	पटवार वृत्त
1	सीमलवाडा	चिखली	चिखली
2			सालेडा
3			साकोदरा
4			बावडी
5			अम्बाडा
6			बडगामा
7			कोचरी
8		कुआं	कुआं
9			गुन्दलारा
10			डूंगर सारण
11			नई बस्ती बडगामा
12			डूंगर
13			सेण्डोला
14			दरीयाटी
15			पुनावाडा
16			नोलीयावाडा

आज्ञा से

31/5/12
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर** का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील गलियाकोट के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत	पटवार वृत्त
1	सागवाडा	चितरी	चीतरी
2			गडा जसराजपुर
3			गलियाकोट
4			सिलोही
5			भेमई
6			झौसावा
7			भेसरा छोटा
8			जोगपुर
9			घॉटा का गांव
10		गरियता	गरियता
11			गडा मेडतिया
12			रामसौर
13			जसैला
14			कसारीया
15			नादीया
16			बाबा की बार
17			रातडीया

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील साबला जिला डूंगरपुर** का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील साबला के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत	पटवार वृत्त
1	आसपुर	साबला	साबला
2			पिण्डावल
3			दौलपुरा
4			वालाई
5			सागोट
6			लेम्बाता
7		निठाउवा	निठाउवा
8			पाल निठाउवा
9			गामडी
10			खानन
11			म्याला
12			रीछा
13			सोलज
14		माल	माल
15			बोडीगामा बडा
16			बोडीगामा छोटा
17			काब्जा
18			पचलासा छोटा
19			पचलासा बडा
20		मूंगेड	मूंगेड
21			तालोरा
22			नांदली अहाडा
23			भेखरेड
24			लोडावल

आज्ञा से
31/5/12
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योंग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक :– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील साबला जिला डूंगरपुर** का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील साबला के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत	पटवार वृत्त
1	आसपुर	साबला	साबला
2			पिण्डावल
3			दौलपुरा
4			वालाई
5			सागोट
6			लेम्बाता
7		निठाउवा	निठाउवा
8			पाल निठाउवा
9			गामडी
10			खानन
11			म्याला
12			रीछा
13			सोलज
14		माल	माल
15			बोडीगामा बडा
16			बोडीगामा छोटा
17			काब्जा
18			पचलासा छोटा
19			पचलासा बडा
20		मूंगेड	मूंगेड
21			तालोरा
22			नांदली अहाडा
23			भेखरेड
24			लोडावल

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योंग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमाक : प.9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिंनाक : 31.5.12

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये एंव इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा **तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर** का **पुर्नगठन / नवसृजन** कर **तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर** का सृजन करती हैं।

नवसृजित तहसील वजीरपुर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एंव पटवार मण्डल शामिल होगें –

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल
	गंगापुर सिटी	1. खण्डीप	1.रेण्डायल गूजर
			2. शिवाला
			3.खण्डीप ए.
			4.खण्डीप बी
			5.रायपुर
			6.मोहचा
			7.मेंडी
			8.फुलवाडा
		2. वजीरपुर	9.पावटा
			10.वडोली
			11.मीनावडोदा
			12.श्यारोली
			13.वजीरपुर ए
			14.वजीरपुर बी
			15.शेखपुर
			16.वगलाई

		3. पीलोदा	17.पीलोदा ए 18. पीलोदा बी 19. सेवा ए 20. सेवा बी 21 महानन्दपुर डयोढा 22.उदेई खुर्द ए 23. उदेई खुर्द बी 24. जींवली

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 . जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा **तहसील अजमेर जिला अजमेर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील पुष्कर जिला अजमेर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील पुष्कर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगेः–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल	
1		पुष्कर	1	पुष्कर
			2	गनाहेड़ा
			3	तिलोरा
			4	किशनपुरा गोयला
			5	नांद
			6	लेसवा
2		कड़ैल	7	कड़ैल
			8	मझेवला
			9	देवनगर
			10	कानस
			11	खोरी
			12	होकरां

आज्ञा से
31/5/12
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा **तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील रूपनगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगेः–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	नाम पटवार मण्डल	
1	किशनगढ	रूपनगढ़	1	रूपनगढ़–I
			2	रूपनगढ़–II
			3	पनेर
			4	निटूटी
			5	नंवा
			6	रधुनाथपुरा
			7	जाजोता
2		कोटड़ी	8	कोटड़ी
			9	उजोली
			10	नोसल
			11	भदूण
			12	सनोदिया
			13	झाग
3		हरमाड़ा	14	हरमाड़ा
			15	मोरड़ी
			16	सुरसरा
			17	त्योद

			18	जूणदा
			19	बुहारू
4		करकेड़ी	20	करकेड़ी–I
			21	करकेड़ी–II
			22	अमरपुरा
			23	रोडावास
			24	पिंगलोद
			25	थल
			26	सिंगला

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः– 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील पाली** व **देसूरी जिला पाली** के निम्नांकित पटवार मण्डलों का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील रानी जिला पाली** का गठन करती है।

नवसृजित तहसील रानी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :–

कम संख्या	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	पटवार मण्डल का नाम
1	देसूरी	खिंवाडा	खिवाडा
2			सिवास
3			घेनडी
4			पिलोवनी
5			नीपल
6			केरली
7			वणदार
8			गजनीपुरा
9			सांवलता
10	पाली		इन्दरवाडा
11			देवली
12			जीवन्द कलां
13			ढारिया
14			भादरलाउ
15			ईटन्दडा मेडतियान
16			रानीखुर्द (शहरी)
17			रानीकला
18			वरकाणा
19			ईटन्दडा चारणान
20			बिजोवा

21			किशनपुरा
22			जवाली
23			सालरिया
24			बुसी
25			निम्बाड़ा
26			खौड
27			बालराई
28			चांचौड़ी
29			नादाना–भाटान
30			माण्डल
31			कीरवा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9 (30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा **तहसील ब्यावर जिला अजमेर** का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर नवीन **तहसील टाटगढ़ जिला अजमेर** का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील टाटगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगेः–

क्र. सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र		पटवार मण्डल
1	ब्यावर	जवाजा	1	जवाजा
			2	भगवानपुरा
			3	सूरजपुरा
			4	जालिया–II वासरूपा
			5	लोटियाना
			6	बिहार रतनपुरा
			7	तारागढ़
			8	दान्दोला
			9	रावतमाल
2		काबरा	10	काबरा
			11	धोलादांता–II
			12	नाईकलां
			13	चिलियाबड़
			14	देवाता
			15	अनाकर
			16	बड़कोचरा
			17	भूरियाखेड़ा कलां

3		टाटगढ़	18	टाटगढ़
			19	मालातों की बेर
			20	लूणोता
			21	मेडिया
			22	बराखन
			23	आसन
			24	सातूखेड़ा
4		खेड़ाकलां	25	खेड़ाकलां
			26	रूपनगर अरनाली
			27	बामनहेड़ा
			28	खोड़माल
			29	चरपला
			30	बनजारी
			31	पालड़ी

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योंग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनाक : 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा** का **पुनर्गठन/नवसृजन** कर **तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा** का सृजन करती है।
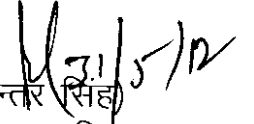
नवसृजित तहसील करेड़ा के कार्यक्षेत्र मे निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	माण्डल	करेड़ा	1 करेड़ा प्रथम
			2 करेड़ा द्वितीय
			3 करेड़ा तृतीय
			4 भभाणा
			5 सेहणूदा
			6 गोरधनपुरा
			7 आमदला
2		ज्ञानगढ़	8 ज्ञानगढ़
			9 मोटा का खेड़ा
			10 शिवपुर
			11 कीड़िमाल
			12 नारेली
			13 चिताम्बा
			14 थाणा
3		निम्बाहेड़ा जाटान	15 निम्बाहेडा(जा.)प्रथम
			16 निम्बाहेडा(जा.)द्वितीय
			17 गोरखिया
			18 चिलेश्वर
			19 उमरी
			20 धुँवाला (क.)

4		बेमाली	21 बेमाली
			22 लादूवास ।
			23 लादूवास ।।
			24 चावण्डिया
			25 दहीमथा
			26 रामपुरिया

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:–

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योंग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा** का **पुनर्गठन/नवसृजन** कर **तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा** का सृजन करती है।
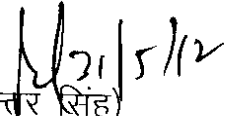
नवसृजित तहसील बदनोर के कार्यक्षेत्र मे निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	आसीन्द	बदनोर	1 बदनोर
			2 भादसी
			3 मोगर
			4 ओझियाणा
			5 मोठी
			6 चतरपुरा
			7 रतनपुरा (भादसी)
2		मोटरास	8 मोटरास
			9 पाटन
			10 रामपुरा
			11 संग्रामगढ
			12 आकड़सादा
			13 जेतगढ
3		कटार	14 कटार
			15 भोजपुरा
			16 चेनपुरा

			17 परा
			18 बाजून्दा
			19 जगपुरा

आज्ञा से

21/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर / जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव,गृहमंत्रालय / रक्षा / संचार / कृषि / ग्रामीण विकास / रेल्वे / उद्योंग / शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5 / 6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा** का **पुनर्गठन / नवीन सृजन** कर **तहसील फूलियांकला जिला भीलवाड़ा** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील फूलियांकला के कार्यक्षेत्र मे निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	शाहपुरा	फूलियांकला	1. फूलियाकलां प्रथम
			2. फूलियाकलां द्वितीय
			3. हुकमपुरा
			4. रलायता
			5. सणगारी
			6. रामपुरा
			7. तस्वारियाबासा
			8. बासेडा
			9. बडला
2		अरवड़	10. अरवड
			11 पेटा अरवड
			12 कोठिया
			13 ईटडिया
			14 सांगरिया
			15 धनोप
			16 मालीखेडा
3		कनेछनकलां	17 कनेछनकलां
			18 पेटानाहरसागर
			19 देवरिया
			20 नई राज्यास
			21 कनेछनखुर्द

			22 डेलांस
			23 डोहरिया
			24 बालापुरा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिंनाकः 31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा** का पुनर्गठन/नवसृजन कर **तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील हमीरगढ़ के कार्यक्षेत्र मे निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1		हमीरगढ़	1. हमीरगढ़ प्रथम
			2. हमीरगढ़ द्वितीय
			3. ओज्याड़ा
			4. तख्तपुरा
			5. बरडोद
			6. सेथूरिया
			7. जागदरी
			8. दूड़िया
2		मंगरोप	9. मंगरोप प्रथम
			10. मंगरोप द्वितीय
			11. पीपली
			12. आमलीगढ
			13. स्वरूपगंज
			14. खेराबाद
			15. बिलियाकलां
			16. देवली

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योंग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:– अधिसूचना –:

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील सुजानगढ जिला चूरु** का **पुर्नगठन/नवीन सृजन** कर **तहसील बीदासर जिला चूरु** का सृजन करती है ।

नवसृजित तहसील बीदासर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामील होगें :–

क्र.स.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत	पटवार मण्डल
1	सुजानगढ	बीदासर	बीदासर
2			कालेरा की ढाणी
3			ढढेरु भामूवान
4			चाडवास
5			दूंकर
6			बालेरा
7			घटीयाल बडी
8			लुहारा
9		तेहनदेसर	तेहनदेसर
10			सडू छोटी
11			ईयारा
12			उॅटालङ
13			पारेवङा
14			उङवाला
15			बम्बू
16			साण्डवा
17		लालगढ	लालगढ
18			जोगलसर
19			कल्याणसर
20			अमरसर
21			कातर छोटी
22			बाढसर
23			गेवरसर

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तार सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः–प.9 (30) राज/ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बसेडी जिला धौलपुर** का **पुर्नगठन/नवीन सृजन** कर **अतिरिक्त तहसील सरमथुरा को कमोन्नत** कर **तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील सरमथुरा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होंगे :–

क0सं0	नाम तहसील	भू अ0 नि0 वृत	पटवार मण्डल
1	बसेडी	1. सरमथुरा	1. सरमथुरा प्रथम
2			2. सरमथुरा द्वितीय
3			3. डौमई
4			4. ददरौनी
5			5. मल्लपुरा
6			6. रीझौनी
7			7. बीलौनी
8			8. बडागांव
9			9. चांदपुरा
10			10 गौलारी प्रथम
11			11. गौलारी द्वितीय
12			12. मदनुपर
13			13. झिरी प्रथम
14			14. झिरी द्वितीय
15		2. आंगई	15. आंगई
16			16. पिपरैठ
17			17. रइरई
18			18. धौन्ध
19			19. बरौली
20			20. बीझौली
21			21. गुढा
22			22. मडासिल
23			23. खुर्दिया
24			24. लीलौठी
25			25. भरकूजरा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तार सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :– प.9(30)राज. / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिंनाक : 31.5.2012

–::अधिसूचना::–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़** की **उप तहसील असनावर** को **क्रमौन्नत कर तहसील असनावर जिला झालावाड** का सृजन करती है :–

नवसृजित तहसील असनावर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एंव पटवार मण्डल शामिल होगें :

क्र स	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	प0म0
1	झालावाड	असनावर	असनावर
2			जूनाखेडा
3			बडोदिया
4			डूंगरगांव
5			लावासल
6			टांडीसोहनपुरा
7			खेडला
8		मण्डावर	मण्डावर
9			रूपारेल
10			गोरधनपुरा
11			कोलाना
12			इकतासा
13			पनवासा
14			बडबेला

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :– प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक:– 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील सांगोद जिला कोटा** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील कनवास जिला कोटा** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील कनवास के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र. सं.	नाम तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सांगोद	कनवास	1–कनवास
			2–मोरूकलां
			3–जालिमपुरा
			4–हिंगोनिया
			5–झालरी
			6–आवां
			7–खजूरना
			8–सावनभादो
2		देवली	9–देवली
			10–ढोटी
			11–हरिपुरामांझी
			12–कुराड
			13–बृजनगर
			14–खजूरी
			15–बालूहेडा

3		धूलेट	16–धूलेट
			17– बास्याहेडी
			18– सीमल्या
			19–दांता
			20–लोडाहेडा
			21– मामोर
			22– पानाहेडा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, , जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.9 (30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांकः 31.5.2012

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा **तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर** को **क्रमोन्नत/पुनर्गठन** कर **तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर** का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील सिणधरी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होगें:–

क्र.स.	नाम तहसील	भू अ0 निरीक्षक वृत	पटवार मण्डल
1.	गुडामालानी	सिणधरी (पूर्ण)	सिणधरी
2.			करना
3.			भूंका वगतसिंह
4.			दांखा
5.			धनवा
6.			जूनामीठा खेडा
7.			चाडों की ढाणी
8.			होडू
9.			डण्डाली
10.			कमठाई
11.		**नोखडा (आंशिक)**	आडेल
12.			निम्बलकोट
13.		पांयला कला (आंशिक)	पांयला कला
14.			नेहरों की ढाणी
15.			कादानाडी
16.			पांयला खुर्द
17.			सड़ा
18.			गोलिया जीवराज
19.			कोशलु
20.			एड सिणधरी

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप—5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

k 2012

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक : 31.5.2012

:– **अधिसूचना** –:

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील चौहटन जिला बाडमेर** का **पुनर्गठन/नवीन सृजन** कर **तहसील सेडवा जिला बाडमेर** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील सेडवा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरिक्षक वृत व पटवार मण्डल शामिल होगें :–

क्र. सं.	भू.अ. निरीक्षक वृत	पटवार मण्डल	
	सेड़वा (पूर्ण)	1	सेड़वा
		2	चिचड़ासर मु0 आलू का तला (न.प्र.)
		3	भंवार
		4	शोभाला दर्शान
		5	सोनड़ी (न0प्र0)
		6	बामड़ला
		7	भैरूड़ी
		8	ओगाला
		9	गौड़ा (न0प्र0)
		10	केकड़
		11	कारटिया
		12	गंगासरा
	बींजासर (आंशिक)	13	बुरहान का तला
		14	सालारिया (भनोत)
		15	हरपालिया
		16	जानपालिया
		17	बीसासर
		18	बींजासर
		19	मीठे का तला

		20	सरुपे का तला
	बाखासर (पूर्ण)	21	फागलिया
		22	तरला (न0प्र0)
		23	हाथला
		24	साता (न0प्र0)
		25	अरटी (न0प्र0)
		26	नवातला बाखासर
		27	बाखासर
		28	भलगांव (न0प्र0)
		29	बावरवाला (न0प्र0)
		30	भंवरिया
		31	पनोरिया
		32	सारला
		33	झड़पा
	धनाऊ (आंशिक)	34	भूणिया
		35	कितनोरिया
		36	नवातला राठौड़ान
		37	बामणोर
		38	सांवा
		39	तालसर (भनोत)
		40	ईटादा

आज्ञा से

31/5/12

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय,जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,विद्युत भवन,जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव,गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल,नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग,डाक तार भवन,पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप–5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव